उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या- 419/2021/2198/41-2022-30(बजट)/2018
लखनऊ दिनांक 07 जुलाई, 2022

संख्या-378/2022/1781/001-41-2022-30-Budget-2018, दिनांक 22 जून 2022

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-2440/6-1-1(905)/2018-19, दिनांक 05 जुलाई 2022 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार अवशेष/अन्तिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-378/2022/1781/001-41-2022-30-Budget-2018, दिनांक 22 जून 2022 के विषय में त्रुटिवस ''जनपद वाराणसी के ग्राम कैंथी में गंगा नदी के किनारे पर मारकण्डेय महादेव घाट से संगम घाट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण'' अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर ''जनपद वाराणसी के तहसील सदर के अन्तर्गत कैंथी में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित मारकण्डेय महादेव घाट के विस्तारीकरण एवं स्थल का पर्यटन विकास'' अंकित होना चाहिए था।

2. अत: एतद्वारा शासनादेश संख्या-378/2022/1781/001-41-2022-30-Budget-2018, दिनांक 22 जून 2022 के विषय में ''जनपद वाराणसी के ग्राम कैंथी में गंगा नदी के किनारे पर मारकण्डेय महादेव घाट से संगम घाट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण'' के स्थान पर ''जनपद वाराणसी के तहसील सदर के अन्तर्गत कैंथी में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित मारकण्डेय महादेव घाट के विस्तारीकरण एवं स्थल का पर्यटन विकास'' अंकित किया जाता है। तद्नुसार शासनादेश दिनांक 22 जून 2022 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, वाराणसी ।
6- मुख्य कोषाधिकारी ,वाराणसी।
7- संयुक्त निदेशक , पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0।
10- अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी यूनिट।
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7 ।
12- संयुक्त निदेशक , पर्यटन वाराणसी ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
1- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 22 जून, 2022

विषय:-जनपद वाराणसी के ग्राम कैंथी में गंगा नदी के किनारे पर मारकण्डेय महादेव घाट से संगम घाट तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-954/6-1-1/(905)/2018-19 दिनांक 13 मई, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद वाराणसी के ग्राम कैंथी में गंगा नदी के बांये तट पर स्थित मारकण्डेय महादेव घाट के विस्तारीकरण एवं स्थल के पर्यटन विकास हेतु चयनित कार्यदायी संस्था सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रायोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	**वित्तीय वर्ष**	**शासनादेश संख्या व दिनांक**	**प्रायोजना की प्रशासकीय स्वीकृति**	**प्रायोजना की वित्तीय स्वीकृति**
1	2018-19	संख्या-114/2018/2380/41-2018-30(बजट)/2018, दिनांक 30.07.2018	514.02	102.80
2	2019-20	संख्या-148/2019/1370/41-2019-30(बजट)/2018, दिनांक 30.04.2019		205.61
3	2020-21	संख्या-147/2020/1800/41-2020-30(बजट)/2018, दिनांक 04.08.2020		50.00
4	2020-21	संख्या-61/2021/47/41-2021-30(बजट)/2018, दिनांक 27.01.2021		102.80
कुल योग				**461.21**

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति धनराशि रू0 514.02 लाख के क्रम में निविदा लागत रू0 401.14 लाख पर वास्तविक जी0एस0टी0 रू0 55.00 लाख, सेन्टेज रू0 50.14 लाख, लेबर सेस रू0 4.01 लाख, को जोड़ते हुए योजना की कुल लागत रू0 510.29 लाख में से अवमुक्त धनराशि रू0 461.21 को घटाने के उपरान्त अवशेष/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 49.08 लाख (रू0 उनचास लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

4. उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-114/2018/2380/41-2018-30(बजट)/2018, दिनांक 30.07.2018, शासनादेश संख्या-148/2019/1370/41-2019-30(बजट)/2018, दिनांक 30.04.2019, शासनादेश संख्या-147/2020/1800/41-2020-30(बजट)/2018, दिनांक 04.08.2020 एवं शासनादेश संख्या-61/2021/47/41-2021-30(बजट)/2018, दिनांक 27.01.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021, कार्यालय ज्ञाप संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 तथा वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 49,08,000 (रुपये उनचास लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13/ 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी वाराणसी ।
6- मुख्य कोषाधिकारी ,वाराणसी।
7- संयुक्त निदेशक , पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0।
10- अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी यूनिट।
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7 ।
12- संयुक्त निदेशक , पर्यटन वाराणसी ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
1- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।